प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 49 सन 2021
अनवान :–

1. शारदा पुत्री देवीलाल पत्नी शैलेन्द्र जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री विजयसिंह अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 27/10/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा कर्मशाना के खाता संख्या 9/22 की 4.7890हैक्ट में से 421/47890 हिस्सा, एवं रोही मौजा नाथेवाला बास के खाता संख्या 116/104 की कुल 96/2 की कुल 4.6160हैक्ट में से 1/21 हिस्सा भूमि की प्रार्थीया का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राजा पुत्री देवीलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम शारदा पुत्री देवीलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थीया का नाम शारदा पुत्री देवीलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थीया का नाम संशोधन किया जाना उचित है ।

सरपंच ग्राम पंचायत गोरखाना एवं मजमें आम में प्रार्थीया के नाम की तस्दीक की गई है

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने प्राथीया को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा कर्मशाना के खाता संख्या 9/22 की 4.7890हैक्ट में से 421/47890 हिस्सा, एवं रोही मौजा नाथेवाला बास के खाता संख्या 116/104 की कुल 96/2 की कुल 4.6160हैक्ट में से 1/21 हिस्सा भूमि की प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

जिसमें प्रार्थी का नाम राजा पुत्री देवीलाल दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम शारदा पुत्र देवीलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम शारदा पुत्र देवीलाल दर्ज है ।

तहसीलदार राजस्व नोहर की अभिशंषा एवं सरपंच ग्राम पंचायत एवं मजमें आम में द्वारा प्रार्थीया के नाम की तस्दीक की गई है।

प्रार्थीया का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा कर्मशाना के खाता संख्या 9/22 की 4.7890हैक्ट में से 421/47890 हिस्सा, एवं रोही मौजा नाथेवाला बास के खाता संख्या 116/104 की कुल 96/2 की कुल 4.6160हैक्ट में से 1/21 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम राजा दर्ज के स्थान पर शारदा उर्फ राजा पुत्री देवीलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट .....गोरखाना.

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 290 दिनांक :– 27.10.21

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 49 / 2021 अनवानी शारदा बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बंध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. शारदा पुत्री देवीलाल पत्नी शैलेन्द्र जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कर्मशाना के खाता संख्या 9 / 22 की 4.7890हैक्ट में से 421 / 47890 हिस्सा, एवं रोही मौजा नाथेवाला बास के खाता संख्या 116 / 104 की कुल 96 / 2 की कुल 4.6160हैक्ट में से 1 / 21 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम राजा दर्ज के स्थान पर शारदा उर्फ राजा पुत्री देवीलाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट– गोरखाना

Scanned with CamScanner